

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 955/2024

मुकेश चन्द मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव—II, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2024

आदेश की दिनांक : 20.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति रेणी, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थागण के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति रूपवास, भरतपुर किया गया। अपीलार्थी की माताजी वृद्धावस्था की बीमारी से पीड़ित है और अपीलार्थी की माताजी के फेफड़े पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अपीलार्थी अपने परिवार में एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है (अनुलग्नक-2)। अपीलार्थी के खिलाफ कोई जांच लम्बित नहीं है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी को पदस्थापित नहीं किया गया और पद अभी भी रिक्त पड़ा है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थागण के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थागण को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति रेणी, अलवर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) के विरुद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति रेणी, अलवर से पंचायत समिति रूपवास, भरतपुर किया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर अगस्त, 2022 से कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को राज्यहित/लोकहित में यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय करते हुए वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात स्थानान्तरित किया गया है तथा इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं विधि विरुद्धता परिलक्षित नहीं होती है। राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात कहीं भी स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है और नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां ले। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में किसी भी तरह की अनियमितता एवं दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य